

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/सामावि/21306/2019-20

दिनांक : 29/8/19

जिला शिक्षा अधिकारी,

(मुख्यालय) माध्यमिक,

अलवर/भीलवाड़ा/बीकानेर/सीकर/पाली।

विषय: 07 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक:- प.11(1) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक: 28.08.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 127.03 के क्रम में राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश की पालना में निम्नांकित 07 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	यू-डाईस कोड	विद्यालय का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	अलवर	उमरेण	08060809101	राउप्रावि अचलपुरी	रतनगढ़पाला
2	भीलवाड़ा	शाहपुरा	08240309301	राउप्रावि कायमपुरा	सांगरिया
3	बीकानेर	कोलायत	08030306601	राउप्रावि खारिया पातावतान	खारिया पातावतान
4	सीकर	फतेहपुरा	08130112408	राउप्रावि चारणा की नाउ	राजास
5	सीकर	लक्ष्मणगढ़	08130208902	राउप्रावि सनवाली	हमीरपुरा
6	सीकर	लक्ष्मणगढ़	08130207201	राउप्रावि पूननी	धनानी
			08130207202	राबाउप्रावि पूननी	
7	पाली	सोजत	08200306210	श्री लक्ष्मीनारायण सिलोरा राबाउप्रावि सांडिया	सांडिया

नोट:- क्रम संख्या 06 पर अंकित राबाउप्रावि पूननी को राउप्रावि पूननी में समन्वित (मर्ज) कर सह-शिक्षा का राजकीय माध्यमिक विद्यालय पूननी में क्रमोन्नत किया गया है।

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2019-20 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष 2019-20 से सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावे।
4. यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।
5. विद्यालयों के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।



(नथमल डिडेल्)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/चूरू/पाली।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर/भीलवाड़ा/बीकानेर/सीकर/पाली।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, उमरेण/शाहपुरा/कोलायत/फतेहपुरा/लक्ष्मणगढ़/सोजत।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण/बजट/योजना/सामान्य प्रशासन अनुभाग कार्यालय हाजा।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर